

राष्ट्रीय ध्वज दविस

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

भारत का राष्ट्रीय ध्वज दविस देश को अंगरेजों से स्वतंत्रता मिलने (15 अगस्त 1947) से कुछ दिन पहले , **22 जुलाई 1947** को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है ।

राष्ट्रीय ध्वज दविस क्या है?

परिचय:

- **22 जुलाई 1947** को [डॉ. राजेंद्र प्रसाद](#) की अध्यक्षता में [भारतीय संविधान सभा](#) ने [राष्ट्रीय ध्वज](#) को अपनाया ।
- [राष्ट्रीय ध्वज](#) [राष्ट्रीय गौरव, एकता और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक](#) है तथा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि है ।

संकल्प और महत्त्व:

- [पंडित जवाहरलाल नेहरू](#) ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, "यह संकल्प लिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया (केसरी), सफेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में कर्षैतजि तरिगा होगा ।
 - सफेद पट्टी के बीच में चरखे को दर्शाने के लिये गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा । इस चक्र का डिज़ाइन [अशोक के सारनाथ स्तंभ](#) पर बने चक्र जैसा होगा ।
 - चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होगा । ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात सामान्यतः 2:3 होगा ।
- [सभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया](#), जिससे ब्रिटिश शासन के अंत के साथ स्वतंत्रता और भविष्य की समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई ।

HISTORY OF INDIAN NATIONAL FLAG

1906



Unofficial flag of India in 1906

1907



The Berlin committee flag, first raised by Bhikaiji Cama in 1907

1917



The flag used during the Home Rule movement in 1917

1921



The flag unofficially adopted in 1921

1931



The flag adopted in 1931. This flag was also the battle ensign of the Indian National Army

1947



The present Tricolour flag of India

//

राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कानून क्या हैं?

परिचय:

- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना/उपयोग करना/प्रदर्शित करना [राष्ट्रीय गौरव अपमान नविवरण अधिनियम, 1971](#) और [भारतीय ध्वज संहिता, 2002](#) द्वारा शासित है।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002:

प्रावधान:

- जब भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, तो यह सम्मान की स्थिति में होना चाहिये।
 - कृषतगिरसूत या अव्यवस्थित ध्वज को नहीं फहराना चाहिये और उसका पूरी तरह से नजि तौर पर नसितारण कर दिया जाना चाहिये।
 - कृषतगिरसूत तरिगे का नसितारण करने के लिये दो स्वीकृत तरीके हैं, या तो उसे दफनाना या जलाना। राष्ट्रीय ध्वज का नसितारण करते समय हमेशा इसकी गरमा बनाए रखी जानी चाहिये।
 - ध्वज को किसी अन्य ध्वज के साथ एक ही मासटहेड/मस्तूल शखिर द्वारा नहीं फहराया जाना चाहिये।
 - ध्वज को ध्वज संहिता के भाग III की धारा IX में उल्लिखित गणमान्य व्यक्तियों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के अतिरिक्त किसी भी अन्य वाहन पर नहीं फहराया जाना चाहिये।
 - किसी अन्य ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊँचा या ऊपर या उसके बगल में नहीं रखा जाना चाहिये।
 - कोई भी सार्वजनिक सदस्य, कोई नजि संगठन या कोई शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों एवं अवसरों पर, औपचारिक या अन्यथा, राष्ट्रीय ध्वज फहरा/प्रदर्शित कर सकता है।
- #### हाल में हुए संशोधन:
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में वर्ष 2021 में संशोधन करके पॉलिऐस्टर या मशीन से बने ध्वज को अनुमति दी गई और फरि वर्ष 2022 में ध्वज को दनि-रात फहराने की अनुमति दी गई।

- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में दो बार संशोधन किया गया: एक बार वर्ष 2021 में पॉलिस्टर या मशीन से बने ध्वज को अनुमति देने के लिये और फिर वर्ष 2022 में ध्वज को दिन एवं रात दोनों समय फहराने की अनुमति देने हेतु।
- राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होगा। ध्वज किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन ध्वज की लंबाई और ऊँचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होना चाहिये।

■ **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971:**

- कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, वरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

और पढ़ें : [भारत का राष्ट्रीय ध्वज](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????? :

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज़ी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद 'सॉन्ग्स फ्रॉम प्रज़िन' से संबंधित है? (2021)

- बाल गंगाधर तिलक
- जवाहरलाल नेहरू
- मोहनदास करमचंद गांधी
- सरोजिनी नायडू

उत्तर: (c)

प्रश्न: भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र में तीलियों की संख्या कतिनी है? (2008)

- 16
- 18
- 22
- 24

उत्तर: (d)